<u>न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश</u> <u>वर्ग—1, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0</u>

(पीठासीन अधिकारी– आसिफ अहमद अब्बासी)

<u>व्यवहार वाद क्रं. 4ए/2016</u> संस्थित दिनांक. 03.10.2011

घासीराम पुत्र अमान सिंह जाति साहू आयु 70 साल पेशा दुकानदारी निवासी दिल्ली दरवाजा चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... वादियां

विरूद्ध

- 01— मुलाबाई पत्नी कालूराम साहू जाति साहू आयु 60 साल निवासी ग्राम अचलगढ तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0
 - (1—अ) दीपक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव आयु 49 साल पेशा बकालत निवासी लाला की गली तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
 - (1—व) संदीप कुमार पुत्र लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव आयु 39 साल पेशा मुद्राक विकेता निवासी लाला की गली तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
 - (1—स) विनोद पुत्र कालूराम साहू जाति साहू आयु 34 साल पेशा कृषि निवासी अचलगढ तहसील मुंगावली थाना सेहराई
 - (1—क) मनोज पुत्र कालूराम साहू जाति साहू आयु 30 साल पेशा कृषि एवं पढाई निवासी ग्राम अचलगढ तहसील मुंगावली थाना सेहराई
 - (1—ख) अंकित पुत्र कालूराम साहू जाति साहू आयु 26 साल पेशा कृषि एव पढाई निवासी ग्राम अचलगढ तहसील मुंगावली थाना सेहराई

- (1—ग) जितेंद्र पुत्र रघुवीर सिंह संधु जाति सिख आयु 44 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम महोली तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
- (1—घ) रविशंकर पुत्र खूबचंद जाति साहू आयु 32 साल पेशा दुकानदारी,
- (1—च) मुकेश पुत्र खूबचंद जाति साहू आयु 23 साल पेशा दुकानदारी निवासी ग्राम सिंहपुर चाल्दा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म प्र0
- (1—छ) जितेंद्र सिंह पुत्र रंधीर सिंह जाति परमार आयु 42 साल पेशा कृषि निवासी पंचनगर कॉलोनी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
- 02— म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर म0प्र0

\sim \sim	
 प्रातवाद	गण

<u>// निर्णय //</u> :: <u>आज दिनांक 05.12.2017 को पारित ::</u>

01— यह वाद करबा चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 145 रकबा 1.986 हैक्टेयर भूमि जिसका 1/4 भाग जिसे नजरी नक्शें में अ,ब,स,द अक्षरों से लाल रंग से चिन्हित किया गया है, तथा जिसे निर्णय के आगे चरणों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है, पर स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता के साथ ही उक्त भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार चंदेरी के प्रकरण क 5ए6/10—11 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2011 को निरस्त किये जाने की सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 145 के रकबा 0.497 के संबंध में प्रतिदावा प्रस्तुत कर उक्त भूमि को प्राप्त कर उसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अपना नामातंरण कराने का अधिकार घोषित किये जाने एवं भूमि सर्वे क्रमांक 145 के संबंध में अमरा साहू के द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 12.06.1979 के आधार पर नामातंरण पंजी क्रमांक 193

आदेश दिनांक 13.12.1979 को निरस्त किये जाने की सहायता चाही गई है। प्रतिवादी क्रमांक 1 (अ) लगायत 1 (छ) की ओर से भी प्रतिदावा प्रस्तुत कर उक्त विवादित भूमि के उनके पक्ष में प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रयपत्रों के आधार पर विक्रय पत्र अनुसार अपने अपने अंश भाग पर अपना स्वत्व, स्वामित्व व अधिपत्य घोषित किये जाने की सहायता सहित उक्त भाग पर वादी के हस्तक्षेप को रोकने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत किया गया है।

02-वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि के 1/2 भाग का वादी एवं 1/2 भाग की उसकी मां कलावती स्वत्व व अधिपत्य धारी थीं। वादी की मां कलावती बाई ने अपने जीवनकाल में स्वेच्छयापूर्वक अपने हिस्से की उपरोक्त विवादित भूमि का दिनांक 19.03.1985 को गवाहों के समक्ष वादी के हित में वसीयतनामां निष्पादित किया था, जिसे नोटरीकृत करावाया गया। वादी मां कलावती की मृत्यु दिनांक 23.11.1996 को हो गई थी जिसके पश्चात् वादी अपने मां के उपरोक्त हिस्से पर वसीयतनामें के आधार पर स्वामी हो गया था। वादी ने ही अपने मां की देखभाल की है तथा उसकी मृत्य के पश्चात उसका कियाक्रम भी किया है। वादी ने नायब तहसीलदार के समक्ष वसीयतनामें के आधार पर अपना नामातरण कराने के लिये आवेदन दिया था, जो प्रकरण क्रमाक 5ए६ / 10-11 पर पंजीबद्ध हुआ था तथा मियाद अंदर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त प्रकरण में पटवारी के द्वारा मनगढंत रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रतिवादी क्र0 1 को कलावतीबाई का वारिस बताया तथा वादी को बिना सुने तहसीलदार चंदेरी के द्वारा विवादित भूमि के 1/4 भाग पर प्रतिवादी क्र0 1 का नामातंरण कर दिया, जो कि विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादी, कलावती और अमरा की एक मात्र संतान होने के आधार पर संपूर्ण रकबे पर वादी का स्वत्व व अधिपत्य हैं। मूलाबाई फर्जी रूप से उसकी मां की झूठी वारिस बन गई है जो कि कलावती बोई की भूमि में कोई हिस्सा प्राप्त करने अधिकार नही रखती है। वादकारण दिनांक 19.09.2011 को खसरे की नकल लेने पर एवं दिनांक 22.09.2011 को नायब तहसीलदार के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर उत्पन्न हुआ, जिससे यह बाद 2,000/- रूपये मूल्यांकन कर 1,000/- रूपये न्यायशुल्क के साथ निर्णय के चरण क्र0 1 में वांछित सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया।

03—प्रतिवादी क्र0 1 की ओर से दावे का जबाव संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि सर्वे कंमाक 145 का भूमि स्वामी अमरा साहू था, जिसका वादी स्वयं को

दत्तक पुत्र होना प्रकट कर रहा है। वादी अमरा का पुत्र नही हैं अमरा ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद कलावती को पत्नी बनाया था तथा वादी कलावती तथा उसके पूर्व पति से उत्पन्न संतान हैं, जिसे हिन्दू विधि के अनुसार दत्तक पुत्र नहीं बनाया जा सकता है। कलावती बाई ने दिनांक 19. 03.1985 को वादी के हित में कोई वसीयतनामा निष्पादित नही किया तथा दिनांक 23.11.1996 को कलावती बाई की मृत्यू होने के बाद भी वर्ष 2010 तक वादी के द्वारा नामातंरण के आधार पर कोई कार्यवाही नही की गई। वादी के द्वारा कलावती बाई की मृत्यु के पश्चात वादी ने फर्जी वसीयतनामा निर्मित किया है। प्रतिवादी क्र0 1 अमरा तथा कलावती की एक मात्र संतान है तथा उन्ही लोगों ने कलावती का विवाह ग्राम अचलगढ में किया था। प्रतिवादी क्र0 1 ने भी कलावती की सेवा की है तथा अंतिम क्रिया-क्रम में भाग लिया है। प्रतिवादी क्र0 1 अब विवादित भूमि की भूमि स्वामी नहीं है क्योंकि उसने दिनांक 06.09.2012 को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से अपने हिस्से की विवादित भूमि प्रतिवादी क्र0 1 (अ) लगायत 1 (छ) को विक्रय कर अधिपत्य दे दिया। जिस पर केतागण का नामातंरण भी स्वीकार हो गया है। वादी ने उक्त तथ्य को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है जिसकी उसे पूर्व से जानकारी थीं। वादी ने प्रतिवादी क्र0 1 द्वारा निष्पादित विक्रयपत्रों को निरस्त कराने की कोई सहायता नही चाही, जिससे यह वाद प्रचलन योग्य नही है, न ही क्रेतागण को पक्षकार बनाया। विक्रयपत्रों के आधार पर वाद का मुल्याकन किया जाना चाहिए था. जो कि वादी के द्वारा नही किया गया। अतः दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

04—प्रतिवादी क्र0 1 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा जबावदावे में प्रस्तुत किये गये अभिवचनों के अतिरिक्त संक्षेप में इस प्रकार है कि अमरा साहू प्रतिवादी क्र0 1 के पिता थे, प्रतिवादी क्र0 1 का मायके में नाम भगवती बाई था तथा शादी के बाद उसका ससुराल वालों ने नाम बदलकर मूलाबाई कर दिया था। प्रतिवादी क्रमांक 1 की मां पहले अमान साहू की पत्नी थी, जिसने बाद में अमरा साहू से विवाह कर लिया था और उस समय घासीराम (वा0सा0—1) कलावती के साथ आया था। वादी घासीराम (वा0सा0—1) व प्रतिवादी क्रमांक 1 भाई—बहन है परन्तु वादी संपत्ति हडपने के उद्देश्य से उसे अपनी बहन होने से इन्कार कर रहा है। कलावतीबाई की मृत्यु वर्ष 1996 में होने के बाद उत्तराधिकार में वादी तथा प्रतिवादी क्र0 1 का हिस्सा 1/2—1/2 होता है। कलावतीबाई ने वादी के पक्ष में कोई वसीयत नही की। वादी ने फर्जी वसीयतनामा दिनांक 19.03.1985 का बना लिया है और चोरी छुपे 15 साल बाद नामातंरण किये जाने हेतु आवेदन दिया था, जिस पर प्रतिवादी क्र0 1 के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत

करने पर नायब तहसीलदार ने बिना विचार किये 1/2 के स्थान पर 1/4 भाग पर वादी का नामातंरण कर दिया। जिसके संबंध में वादी ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील भी प्रस्तुत की है। दिनांक 13.12.1997 को वादी ने जो फौती नामातंरण कराया है उसने जानबूझकर प्रतिवादी क्र0 1 का नाम छोडा गया तथा उक्त नामातरंण की वसीयतनामा दिनांक 12.06.1979 के आधार पर कराया। जिसे प्रतिवादी क्र0 1 चुनौती देती है। प्रतिवादी क्र0 1 को वाद कारण दिनांक 03.10.2011 को वादी के द्वारा वाद प्रस्तुत करने से उत्पन्न हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप जबाव दावे के अतिरिक्त निर्णय के चरण कमांक 1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया।

05-प्रतिवादी क्र0 1 (अ) व 1 (ब) प्रतिवादी क्रमांक 1 (घ) एवं 1 (च), प्रतिवादी क्र0 1 (स) लगायत 1 (छ) की ओर से पृथक पृथक जबावदावे प्रस्तुत किये गये। अधिकांश अभिवचन समान होने से उनके संयुक्त रूप से जबावदावा संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि सर्वे कंमाक 145 रकबा 1.986 मूलाबाई के पिता अमरा साहू की पैतृक संपत्ति थी, अमरा साहू ने अपनी प्रथम पत्नी के मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी क्र0 1 की मां कलावती बाई से विवाह किया था जो कि अपने पूर्व पति अमान साहू से अलग रह रही है। प्रतिवादी क्र0 1 व अमरा व कलावती बाई की वैधानिक पुत्री है। जबकि अमरा साहू ने वादी को कभी गोद लिया और न ही दत्तक के संबंध में कोई गोदनामा ही निष्पादित किया। कलावती बाई ने वादी के हित में दिनांक 19.03.1985 को कोई वसीयतनामा नहीं किया। वादी ने फर्जी वसीयतनामा तैयार किया है। प्रतिवादी क्र0 1 के पक्ष में नायब तहसीलदार चंदेरी ने प्रकरण में क्रमांक 536 / 10-11 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2011 द्वारा उपरोक्त भूमि का 1/4 भाग रकबा 0.993 हैक्टेयर पर नामातंरण स्वीकार किया, जिसका अमल हो जाने के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उक्त भूमि में से नामातंरण में प्राप्त 1/4 अंश को दिनांक 06.09.2011 को 5 विक्रयपत्र द्वारा प्रतिवादी क्र0 1 (अ) लगायत 1 (छ) को विकय कर दी तथा प्रतिवादीगण क्रय की गई भूमि पर वह काबिज है तथा विक्रयपत्र पंजीयन हो जाने के बाद उनका वैधानिक स्वत्व व अधिपत्य है। कलावती बाई की मृत्यु दिनांक 23.11.1996 को हो जाने के बाद वादी ने 15 वर्ष तक वसीयतनामां छुपाये रखा। वादी के स्वयं के आवेदन के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का नामांतरण स्वीकार हुआ हैं। वादी को विक्रयमूल्य पर वाद का मूल्याकन कर न्यायशुल्क देना था। वादी को दिनांक 23.09.2011 को ही विक्रय की जानकारी हो गई थीं, परन्तु यह वाद दिनांक 03.10.2011 को पेश किया गया तथा दावे में विक्रयपत्र के तथ्यों को छुपाया। वादी ने विक्रयपत्र निरस्त किये जाने की कोई सहायता नहीं चाही तथा वादी के द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के पश्चात् एक ही सहायता दो न्यायालयों से नहीं चाही जा सकती। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी क्र0 1 (स) लगायत 1 (छ) का भी यह भी कहना है कि वादी तथा प्रतिवादी क्र0 1 भाई बहन के रूप में रहे हैं। नायब तहसीलदार चंदेरी ने वादी का नामातंरण गलत किया है तथा प्रतिवादी क्र0 1 उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रखती है। प्रतिवादी क्र0 1 द्वारा निष्पादित किये गये विक्रयपत्रों के आधार पर प्रतिवादीगण का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में स्वीकार हुआ है। अतः उपरोक्त आधार पर दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

- 06—प्रतिवादी क्र0 1 (अ) लगायत 1 (छ) का प्रतिदावा जबावदावा में प्रस्तुत अभिवचनों के अतिरिक्त संक्षेप में इस प्रकार हे कि मूलाबाई के द्वारा किये गये विक्रयपत्र के आधार पर उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्र0 1 (अ) लगायत 1 (छ) का राजस्व अभिलेखों में पंजीकमांक 23, 24, 25, 26 व 27 दिनांक 27.09.2011 से मूलाबाई के नाम पर नामातंरण हो चुका है तथा उक्त भूमि का बटा भी कायम हो चुका है जो वर्तमान में 145/02 है। क्रय दिनांक से प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज है अतः प्रतिदावे का मूल्याकंन 2,000/— रूपये पर करके 1,000/— रूपये न्यायशुल्क के साथ निर्णय के चरण क्र0 1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रतिदावा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है।
- 07—वादी की ओर से प्रकरण में मूलाबाई के प्रतिदावे का जबाव संक्षेप में इस प्रकार है कि अमरा की कोई पुत्री संतान नहीं थी वादी अमरा का वैधानिक दत्तक पुत्र है, जो मां बाप की एक मात्र संतान होने से समस्त चल—अचल संपत्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी की मां कलावती ने अपनी मर्जी से उसके हित में वसीयतनामा निष्पादित किया था। मूलाबाई के द्वारा एस0डी0ओ0 न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील निरस्त कर दी गई है तथा पंजी क्रमांक 193 दिनांक 13.12.1997 का नामातंरण को 30 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। मूलाबाई यदि अमरा की संतान होती तो उसका फौती नामातंरण में नाम अवश्य होता। प्रतिवादी क्र0 1 अनावश्यक वादी को परेशान कर रही है। प्रतिदावा अवधि बाधित हैं। अतः सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
- 08—वादी की ओर से प्रतिवादी क्र0 1 (अ) लगायत 1 (छ) के प्रतिदावे का जबाव संक्षेप में इस प्रकार है कि सर्वे क्रमांक 145 की विवाद भूमि वादी के स्वत्व व

अधिपतय की भूमि थी प्रतिवादी क्र0 1 मूलाबाई ने प्रतिवादी क्र0 1 (अ) लगायत 1 (छ) के साथ आपराधिक षड़यंत्र रचकर वादी की भूमि हड़पने के लिये प्रकरण में क्र0 536/10—11 में दिनांक 24.06.2011 को विधि विरूद्ध आदेश करा कर अपना नामांतरण करा लिया और उक्त आदेश का लाभ उड़ाकर दिनांक 06.09.011 को मूलाबाई ने विवादित भूमि रिजस्टर विक्रयपत्र से प्रतिवादी क्र0 1 (अ) लगायत 1 (छ) को विकय कर पंजी क्रमांक 23, 24, 25, 26 व 27 दिनांक 27.09.11 को प्रतिवादी क्र0 1 (अ) लगायत 1 (छ) का नामातंरण स्वीकार हुआ, जबिक प्रतिवादी क्र0 1 से वादी का कोई रिश्ता नही है। प्रतिवादीगण शेष भूमि पर ताकत के बल पर तथा धारा—376 एवं हिरजन एक्ट लगाने के धमकी देकर कब्जा करने के प्रयास में है। घासीराम सर्वे कंमाक 145 के संपूर्ण रकबे का स्वामी व अधिपत्यधारी है। प्रतिवादी क्र0 1 (अ) लगायत 1 (छ) को वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः प्रतिदावे निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

09—प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से दिनांक 12.
07.17 को प्रकरण में आदेश 23 नियम 1 ज0दी0 का आवेदन प्रस्तुत कर प्रतिदावा वापस करने की अनुमित चाही गई थी जिसे स्वीकार करते हुये प्रतिवादी क्रमांक 1 का प्रतिदावा वापसी के आधार पर निरस्त किया गया।

10—प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

कमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 145 रकबा 1.986 है, में से 1/4 भूमि भाग जिसे वाद संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया, का विधिक स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है ?	
02.	क्या प्रतिवादी क्र0 1 एवं अन्य प्रतिवादीगण उक्त वाद ग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहे है ?	प्रमाणित है
03.	क्या वादी स्थाई निषेघाज्ञा प्राप्त करने	प्रमाणित है

	का अधिकारी है ?	
04.	क्या नयाब तहसीलदार चंदेरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2011 विधि विरूद्ध होकर शून्य है ?	प्रमाणित है
05.	क्या प्रतिवादी क्र0 1 ने दिनांक 06.09. 2011 को विधिक रूप से नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 24.06. 2011 के प्राप्त भूमि 2.496 है, दिनांक 06.09.2011 को दीपक कुमार, संदीप कुमार, मनोज, अंकित, जितेंद्र, रविशंकर, जितेंद्र सिंह पुत्र रणवीर सिंह को विधिवत विक्रय कर अधिपतय सौंप दिया है ?	प्रमाणित नही
06.	क्या वादी ने दावा परिसीमा अवधि के अंतर्गत प्रस्तुत किया है ?	प्रमाणित है
07.	क्या वादी अमरा साहू एवं कलावती का विधिक रूप से दत्तक पुत्र है ?	प्रमाणित है
08.	क्या वादी के पक्ष में अमरा एवं कलावती द्वारा विधिवत् वसीयतनामा किया था ?	प्रमाणित नही।
09.	क्या वादी ने दावे का उचित मूल्याकंन कर पर्याप्त न्यायशुल्क चस्पा किया है ?	प्रमाणित है।
10.	क्या प्रतिवादीगण कस्वा चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क 145 जिसका बाद में बटा 145/2 हो गया है रकबा 0.496 है, मे से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रकबा 0.120 भूमि प्रतिवादी क्र0 1 (अ) एवं 1 (ब) के तथा 0.072 है, भूमि प्रतिवादी क्र0 1 (स) लगायत 1 (ख) के तथा 0.120 है, भूमि प्रतिवादी क्र0 1 (ग) के तथा 0.023 है, भूमि प्रतिवादी क्र0 1 (घ) लगायत 1 (च)	

	के दावा 0.161 है, भूमि प्रतिवादी क्र0 1 (छ) के विधिक स्वत्व एवं अधिपत्य की है ?	
11.	क्या वादी उक्त वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहा है ?	प्रमाणित नही।
12.	क्या उक्त प्रतिवादीगण 1 (अ) लगायत. 1 (छ) उक्त वादग्रस्त भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नही।
13.	क्या मूलाबाई अमरा की विधिक वारिस होकर पुत्री है ?	प्रमाणित नही।
14.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 62 अनुसार प्रदान की गई।

—ःसकारण निष्कर्षः:— वाद प्रश्न कमांक ७ व १३ का विवेचन एवं निष्कर्षः—

- 11—सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त वाद प्रश्नों का विवेचन पहले किया जा रहा है। वादी की ओर से प्रस्तुत अभिवचन के अनुसार विवादित भूमि का 1/2 भाग का वह स्वयं एवं 1/2 भाग की उसकी मां कलावती स्वत्व व अधिपत्यधारी थी तथा कलावती के द्वारा दिनांक 19.03.1985 को अपने हिस्से की भूमि का वसीयतनामा वादी के पक्ष में निष्पादित करने के बाद एवं दिनांक 23.11.1996 को वादी की मां कलावती बाई की मृत्यु हो जाने के बाद वह विवादित भूमि के संपूर्ण रकबे का स्वत्व व अधिपत्यधारी हो गया। वादी के अनुसार उसके अलावा उसकी मां का अन्य कोई वारिस नही है और न ही उसकी मां ने अपने जीवनकाल में किसी और वारिस के होने के बारे में उसे बताया।
- 12—विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में 1/2 भाग पर वादी के नाम पर एवं 1/2 भाग पर कलावती के नाम पर अंकित थीं, इस संबंध में वादी के अभिवचनों को प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचनों में स्वीकार किया है। वादी की ओर से

प्रकरण में अपने समर्थन में खसरा संबत् 2041—45, संबत् 46—50 एवं नामातंरण पंजी की सत्यप्रतिलिपि क्रमशः प्रदर्श—पी—4, 5 व 6 प्रकरण में प्रस्तुत की है। वादी की ओर से प्रकरण में खसरा 2006—07 की सत्यप्रतिलिपि प्रपी 26, खसरा वर्ष संबत् 2061—65 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—पी 27 प्रस्तुत किये गये है। वहीं प्रतिवादीगण की ओर से भी खसरा संबत् 2041—46 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—डी 15 एवं खसरा संबत् 2046—50 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—डी 16 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि होने से एवं दोनों पक्षों के द्वारा उक्त दस्तावेजों की प्रविष्टियों को स्वीकार कर लेने के बाद यह निर्विवादित है कि अमरा के पश्चात् विवादित भूमि वादी की मां कलावती बाई व वादी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में समान भाग पर दर्ज हुई थीं।

- 13—प्रतिवादीगण के अभिवचनों के अनुसार वादी अमरा साहू का पुत्र नहीं है। अमरा ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वादी की मां कलावती बाई को पत्नी बनाया था तथा वादी कलावती बाई पूर्व पित अमान साहू से उत्पन्न संतान है। मूलाबाई सिहत सभी प्रतिवादीगण का अपने अभिवचनों में यह कहना है कि मूलाबाई अमरा व कलावती बाई की एक मात्र संतान है। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि मूलाबाई सिहत सभी प्रतिवादीगण ने वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावा भी न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा में यह समान अभिवचन किये गये है कि विवादित भूमि पूर्व में अमरा साहू कि स्वत्व व स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि थीं तथा अमरा साहू प्रतिवादी क्र0 1 का पिता था। वही वादी कलावती बाई से अमरा ने अपनी पूर्व पत्नी की मृत्यु के बाद विवाह किया था और उस विवाह में वादी घासीराम (वा0सा0—1) कलावतीबाई के साथ आया था, जो कि कलावतीबाई के पूर्व पित अमान का पुत्र है।
- 14—प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति नहीं है कि विवादित भूमि का पूर्व भूमि स्वामी अमरा साहू था। वादी की ओर से अपने समर्थन में खसरा जिल्द बंदोबस्त संबत् 2013 की सत्यप्रतिलिति प्रदर्श—पी 1 खसरा संबत् 2031—35, 2036—40 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—पी 2, 3 एवं नामातंरण पंजी प्रदर्श—पी 6 की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से भी प्रकरण में खसरा संबत् 2031—35 की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत की गई है, जो अखण्डित दस्तावेज है तथा दोनो पक्षों के द्वारा स्वीकार भी किये गये

है। अतः दस्तावेजों से यह तो प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि पूर्व में अमरा साहू के स्वत्व व अधिपत्य पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थीं।

- 15—अतः वादी तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों से इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति नही है कि अमरा साहू ने अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात् कलावती बाई से विवाह किया था तथा कलावती बाई जब विवाह हुआ तो वह अपने साथ अपने पूर्व पित अमान साहू से उत्पन्न संतान जो कि वादी घासीराम (वा०सा0—1) है, को साथ में लेकर आई थीं। वादी का अपने अभिवचनों में कहना है कि वह वैधानिक दत्तक पुत्र है। जबिक प्रतिवादी क्र0 1 के अनुसार वादी दत्तक पुत्र हिन्दू विधि के अनुसार नही बन सकता हैं। प्रतिवादी क्र0 1 मूलाबाई स्वयं को अमरा व कलावतीबाई की पुत्री होना अपने अभिवचनों में कहती है तथा शेष प्रतिवादीगण वादी तथा प्रतिवादी क्र0 1 को एक ही मां कलावती बाई से उत्पन्न संतान होने के कारण भाई—बहन का रिश्ता होना अपने अभिवचनों में कहते है, परन्तु उक्त अभिवचनों के खण्डन में वादी अमरा व कलावती का स्वयं को एक मात्र वारिस होना बताता है तथा मूलाबाई को अमरा व कलावती बाई की पुत्री होना अस्वीकार करता है।
- 16—वादी तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर मुख्य विवाद इस संबंध में है कि वास्तव में वादी अमरा साहू का दत्तक पुत्र है, और उक्त कारण से वह अमरा साहू का एक मात्र वारिस है तथा वास्तव में प्रतिवादी क्र0 1 मूलाबाई अमरा व कलावतीबाई की पुत्री होकर उनकी वारिस है अथवा नहीं। वादी ने अपने अभिवचनों में प्रतिवादीगण के अभिवचनों को स्वीकार करते हुये इस बात की पुष्टि की हैं कि वादी अमरा साहू व कलावती से उत्पन्न सतांन नही है बल्कि वादी के अनुसार वह अमरा साहू का दत्तक पुत्र है, परन्तु वादी ने अपने जबाव में इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि प्रतिवादी क्र0 1 अमरा साहू व कलावती बाई की संतान नही है तथा वह स्वयं अमरा साहू व कलावती बाई का एक मात्र वारिस है।
- 17—घासीराम (वा0सा0—1) का अपने कथनों में यह कहना है कि उसकी मां ने अपने जीवनकाल में विवादित भूमि के आधे भाग की उसके पक्ष में वसीयत की थीं जिससे वह संपूर्ण रकबे का मालिक हो गया था। वादी के अनुसार कलावती बाई का उसके अतिरिक्त अन्य कोई वारिस नहीं था ओर न ही कोई पुत्री थीं। वादी का कहना है कि प्रकरण में कमाक 536/10—11 में

पटवारी ने मनगढंत रिपोर्ट प्रस्तुत कर मूलाबाई को कलावतीबाई का वारिस बना दिया और दिनांक 24.06.2011 को विधि विरुद्ध आदेश पारित कर दिया। घासीराम (वा0सा0—1) ने हालांकि अपने अभिवचनों के विपरीत अपने प्रतिपरीक्षण के प्रारंभ में इस संबंध में कुछ विरोधाभासी कथन अवश्य दिये है कि वह अमरा साहू से पैदा हुआ हैं, परन्तु उक्त कथनों को पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर सुधारते हुये वादी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डित साक्ष्य दी है कि उसके पिता अमान साहू थे तथा वह अमरा साहू का दत्तक पुत्र हैं।

- 18—घासीराम (वा०सा०—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 18 में प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिये गये सुझाव को स्वीकार किया है कि वह अमरा साहू के द्वारा गोद लिया गया था तथा वह अमरा साहू का दत्तक पुत्र की हैसियत से संपत्ति में अधिकार मांग रहा है। घासीराम (वा०सा०—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 25 में यह व्यक्त किया है कि प्रतिवादी क्र0 1 मूलाबाई फर्जी महिला है, जो कि उसकी बहन नही हैं। वादी ने इस बात का खण्डन किया है कि अमरा साहू की उसके अलावा और कोई संतान नही है तथा मूलाबाई अमरा साहू व कलाबाई से उत्पन्न सतान नही है।
- 19—अतः वादी घासीराम (वा०सा०—1) ने अपने न्यायालीन कथनों में अपने अभिवचनों की पुष्टि करते हुये अखिष्डत साक्ष्य दी है कि वह अमरा साहू का दत्तक पुत्र है तथा प्रतिवादी क्र0 1 फर्जी महिला होकर न तो उसकी बहन है और अमरा साहू और कलावती बाई की पुत्री है। घासीराम (वा०सा०—1) के द्वारा अपने समर्थन में अपने मौसी के लड़के कंछेदीलाल (वा०सा०—4) के शपथ व कथन न्यायालय में कराये है तथा साथ ही अपने साले अशोक कुमार (वा०सा०—2) के कथन सिहत कंछेदीदास (वा०सा०—5) के भी कथन न्यायालय में कराये गये। कंछेदीलाल (वा०सा०—4) व अशोक कुमार (वा०सा०—1) ने अपने—अपने कथनों में वादी के कथनों की पुष्टि करते हुये विरोधाभास रहित कथन दिये है।
- 20—कंछेदीलाल (वा0सा0—4) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में यह स्पष्ट किया है कि उसकी मां जुगतोबाई एवं घासीराम (वा0सा0—1) की मां कलावती बाई आपस में सगी बहने थीं। इस साक्षी के उपरोक्त कथनों को प्रतिवादीगण की ओर से न तो कोई चुनौती नहीं दी गई और न ही खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई बल्कि स्वयं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त दिये

गये सुझाव के द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कंछेदीलाल (वा०सा0-4) वादी घासीराम (वा०सा0-1) का मौसी का लडका है। कंछेदीलाल ने अपने सशपथ कथनों की कण्डिका 3 में इस बात की पुष्टि की है कि घासीराम (वा०सा0-1), अमरा साहू का दत्तक पुत्र हैं तथा कलावती बाई व अमरा के विवाह के पश्चात् उनके कोई पुत्री व पुत्र संतान उत्पन्न नहीं हुए।

21—कंछेदीलाल (वा०सा०—4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट किया है कि ६ । सीराम (वा०सा0—1) दत्तक पुत्र हैं तथा कलावतीबाई और अमरा के कोई संतान पैदा नहीं हुईं। इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसे इस बात की जानकारी इसलिए है कि क्योंकि वह हर महीने दो महीने में अपनी मौसी के यहा आता—जाता रहता था। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 व 11 में पुनः इस साक्षी ने इस बात का खण्डन किया है कि प्रतिवादी क्र0 1 मूलाबाई व अमरा व कलावती बाई से उत्पन्न पुत्री हैं। अशोक कुमार (वा०सा0—1) ने भी अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि घासीराम (वा०सा0—1) अमरा साहू एव कलावती बाई का दत्तक पुत्र है तथा घासीराम (वा०सा0—1) के अतिरिक्त अमरा और कलावती बाई के कोई पुत्र और पुत्री नहीं थे, अशोक कुमार (वा०सा0—1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन उसके संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं।

भूमि पर नहीं गया और न ही उसे यह जानकारी है कि अमरा साहू के परिवाद में कितने महिला सदस्य थे और कितने पुरूष सदस्य थे।

23—कंछेदीदास (वा0सा0—5) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में एवं प्रतिपरीक्षण में दिये गये कथनों में गंभीर तात्विक विरोधाभास है तथा इस साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथनों से यह दर्शित होता है कि इस साक्षी को न तो वादी के परिवार के बारे में जानकारी है और न ही विवादित भूमि के बारे में कोई जानकारी है। अतः इस साक्षी के कथनों से वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी घासीराम (वा0सा0-1) ने अपने सशपथ कथनों में अपने अभिवचनों की पुष्टि की है तथा इस साक्षी की साक्ष्य उसके संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में अखिण्डत होकर विरोधाभास रहित है। वहीं घासीराम (वा0सा0-1) के कथनों की पुष्टि उसकी ओर से परीक्षण कराये गये उसके मौसी लडके कंछेंदी लाल व साले अशोक कुमार (वा0सा0-1) ने भी की है। कंछेदीलाल (वा०सा०-4) व अशोक कुमार (वा०सा०-1) के न्यायालीन कथनों में प्रतिवादी पक्ष कोई भी तात्विक विरोधाभार उत्पन्न करने में सफल नही हुआ है तथा घासीराम (वा0सा0-1) सहित कंछेदीलाल (वा०सा0-4) व अशोक कुमार (वा०सा0-1) की साक्ष्य इस संबंध में अखिण्डत हैं कि घासीराम (वा0सा0—1) कलावती बाई के पूर्व पति अमान साहू से उत्पन्न संतान है। कलावती बाई के द्वारा अमरा साहू से शादी करने बाद एवं उनके कोई संतान उत्पन्न न होने से तथा घासीराम (वा०सा०-1) उनके दत्तक पुत्र के रूप में उनकी मृत्यु के बाद एक मात्र वारिस था।

24—घासीराम (वा०सा०—1) अमरा साहू का दत्तक पुत्र था, इस तथ्य को प्रतिवादीगण की ओर से भी अपने अभिवचनों में पूरी तरह से नकारा नही गया हैं वादी के दावे के जबाव में प्रतिवादी मूलाबाई को छोड़कर शेष सभी प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचनों में एवं प्रस्तुत प्रतिदावे में यह अभिवचन दिये है कि अमरा की पत्नि के मत्यु के पश्चात अमरा ने कलावती से विवाह कर लिया था उस समय घासीराम (वा०सा०—1) कलावती के साथ आया था, इन प्रतिवादीगण का यह भी कहना है कि वादी तथा प्रतिवादी क्र0 1 के मध्य भाई बहन का रिश्ता था तथा दोनों की परवरिश एक साथ एक ही घर में हुई थीं और इसी कारण से विवादित भूमि के आधे भाग पर मूलाबाई काबिज थी।

25—प्रतिवादी क्र0 1 (अ) लगायत 1 (छ) की ओर से प्रस्तुत किये गये

अभिवचनों एवं उक्त अभिवचनों की पुष्टि करते हुये प्रतिवादी साक्षी हरिराम साहू (प्र0सा0-2), रविशंकर (प्र0सा0-1), दीपक कुमार श्रीवास्तव (प्र0सा0-3) के द्वारा दिये गर्य न्यायालीन कथनों से यह तो स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण भी विवादित भूमियों में घासीराम (वा०सा0-1) का स्वत्व मानते हैं। घासीराम (वा0सा0-1), स्वयं का एवं प्रतिवादीगण का यह कहना है कि वह अमरा साहू वं कलावतीं की सतांन नहीं है। यदि प्रतिवादीगण यह जानते हुये भी घासीराम (वा०सा0-1), अमरा साहू और कलावती से उत्पन्न संतान नहीं होने के बाद भी अमरा कि विवादित भूमि पर आधे भाग पर घासीराम (वा०सा०–1) का स्वत्व मानते हैं, तो उससे यह निष्कर्ष समक्ष आता है कि स्वयं प्रतिवादीगण भी घासीराम (वा0सा0-1) को अमरा का दत्तक पुत्र होना स्वीकार करते हैं। प्रतिवादी क्र0 1 मूलाबाई ने अपने अभिवचनों में निश्चित रूप से घासीराम (वा०सा0-1) के दत्तक पुत्र होने के संबंध में किये गये अभिवचनों को हिन्दू विधि का हलावा देते हुये चुनौती दी है, परन्तु मूलाबाई की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावे में स्वयं मूलाबाई के द्वारा अपने जबाव दावे के विपरीत वादी को अपना भाई होना बताया गया है तथा वादी का 1/2 हिस्सा विवादित भूमि में होना बताया गया है। अतः मूलाबाई की ओर से प्रस्तुत अभिवचन भी यह साबित करते है कि मूलाबाई स्वयं भी वादी को अमरा और कलावतीबाई का दत्तक पुत्र होना स्वीकार करती है।

- 26—मूलाबाई को छोडकर किसी भी प्रतिवादी ने घासीराम (वा०सा0—1) के दत्तक पुत्र होने को लेकर कोंई आपित्त अपने अभिवचनों में नही उठाई है। स्वयं प्रतिवादी क्र0 1 मूलाबाई अपने जबाव दावे में वादी के दत्तक पुत्र होने को चुनौती दिये जाने के बाद अपने प्रतिदावे के अभिवचनों में वादी को अपना भाई होना कहती है तथा स्वयं मूलाबाई ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अभिवचनों के समर्थन में या अपने अभिवचनों को स्पष्ट करने के लिये कोई कथन दिये और न ही उसकी ओर से वादी के दत्तक पुत्र होने को चुनौती देते हुये तथा उक्त तथ्य को साबित करने के लिये कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है।
- 27—अभिलेख पर स्वयं वादी व उसके साक्षियों के द्वारा इस संबंध में अखिण्डत साक्ष्य दी गई है कि वादी अमरा साहू का दत्तक पुत्र है। घासीराम (वा0सा0—1) का स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका 18 में यह कहना है कि वह अपने मां की अमरा साहू की शादी के समय अपनी मां की गोद में था तथा अपनी मां के साथ दूध पीता हुआ, गोद में आया था। वादी के उपरोक्त

कथनों की पुष्टि कंछेदीलाल (वा०सा०—4) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में स्वयं यह स्वीकार करते हुये की है कि वादी अपनी मां के साथ अमरा से शादी के समय गोद में आया था। वादी पक्ष की ओर से प्रकरण में प्रदर्श—पी 8 व 9 के प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये है तथा उक्त प्रमाणपत्र जारी करने वाले शिक्षक राजेंद्र कुमार जैन (वा०सा०—3) व नरेंद्र प्रसाद तिवारी (वा०सा०—6) के कथन भी न्यायालय में कराये है।

- 28—शिक्षक राजेंद्र कुमार जैन (वा०सा०—3) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि प्रदर्श—पी 8 का प्रमाणिकरण शाला अभिलेख के अनुसार उनके द्वारा जारी किया गया था तथा शासकीय बालक प्राथमिक विद्यालय चंदेरी के अभिलेख के अनुसार दिनांक 05.01.1955 पर प्रवेश पंजी कमाक 1335/420 पर छात्र के रूप में घासीराम पुत्र अमरा साहू का नाम दर्ज किया गया था। जिसमें घासीराम की जन्म तिथि 05.01.1948 अंकित है। इसी प्रकार रिटायर्ड प्रधान अध्यापक नरेंद्र प्रसाद तिवारी (वा०सा०—7) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि वह शासकीय माध्यमिक विद्यालय चंदेरी में प्रधान अध्यापक थे, प्रदर्श—पी 9 का प्रमाणपत्र उनके द्वारा दिनांक 16.12.2011 को जारी किया गया था, जिसके अनुसार घासीराम (वा०सा०—1) ने कक्षा 6 में दिनांक 01.07.1959 को प्रवेश लिया था जो उक्त विद्यालय में कक्षा 8 तक वर्ष 1963 तक अध्ययनरत रहा था तथा अभिलेख में उसकी जन्मतिथि 05.01.1948 अंकित है।
- 29—राजेंद्र कुमार जैन (वा०सा०—3) एवं नरेंद्र प्रसाद तिवारी (वा०सा०—7) के द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनों से उनके द्वारा जारी किये गये प्रमाणिकरण प्रदर्श—पी 8 व 9 को प्रमाणित किया है। प्रदर्श—पी 8 व 9 के प्रमाणिकरण में वादी के वल्दीयत अमरा साहू लेख है, तथा प्रदर्श—पी 8 के प्रमाणिकरण एवं राजेंद्र कुमार जैन (वा०सा०—3) के कथन के अनुसार उक्त प्रविष्टि शाला अभिलेख में 05.01.1955 की है। अतः इस साक्षी के कथनों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1955 में वादी के पिता के रूप में अमरा साहू का नाम विद्यालय के अभिलेख में दर्ज था, जो घासीराम (वा०सा०—1) व कछंदीलाल (वा०सा0—4) के द्वारा प्रतिपरीक्षण में दिये गये कथनों की इस संबंध में पुष्टि करता है कि घासीराम (वा०सा0—1) वर्ष 1948 में पैदा हुआ और उक्त अविध के आसपास ही जब उसकी मां ने अमरा साहू से विवाह किया, तो वह अपनी मां के साथ गोद में आया था और इसी कारण से पिता के रूप में स्कूल के विद्यालीन अभिलेखों में अमरा साहू का नाम दर्ज हुआ है। खसरा संबत्

2036—40 में अमरा की मृत्यु के पश्चात् इसी कारण से वादी का नाम दत्तक पुत्र के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ। इस प्रकरण के दायर होने के पूर्व तक अमरा के दत्तक पुत्र होने को कोई चुनौती किसी के द्वारा नहीं दी गई।

- 30-यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1956 में Hindu Adoption and Maintenance Act-1956 लागू होने के बाद से जो भी पुत्र या पुत्री गोद लिया जाता है, तो वह उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही लिया जाता है तथा उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व किये उक्त अधिनियम का लिये गये दत्तक ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा। वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादी निश्चित रूप से कलावतीबाई के पूर्व पति अमान साहू से उत्पन्न संतान है तथा कलावती बाई के द्वारा पुनः विवाह अमरा साहू से करने के बाद वह अमरा साहू की पत्नी के रूप में रही और वादी उनके साथ ही रहा। हिन्दू विधि में इस संबंध में कोई में रोक नही है कि पुरूष अपनी पत्नी के पूर्व पति से उत्पन्न हुई संतान को गोद नही ले सकता है। अमरा साहू ने दत्तक के रूप में वादी को ग्रहण किया यह विद्यालीन अभिलेखों में पिता के रूप में वादी के साथ उसका नाम तथा राजस्व अभिलेखो में विगत कई वर्षो से चली आ रही प्रविष्टि एवं प्रतिवादीगण के द्व ारा की गई स्वीकारोक्ति से प्रमाणित होता है। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि घासीराम (वा0सा0-1) अमरा साहू एवं कलावतीबाई का विधि रूप से दत्तक पुत्र है। अतः वाद प्रश्न कमांक 7 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।
- 31—मूलाबाई (वा०सा0—1) की ओर से प्रस्तुत अभिवचन के अनुसार वह स्वयं को वादी का भाई एवं अमरा साहू का कलावतीबाई के संतान होना कहती है। मूलाबाई वास्तव में अमरा साहू और कलावतीबाई के विवाह के उपरांत उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान है इसको वादी सिहत साक्षी कंछेदीलाल (वा०सा0—4), अशोक कुमार (वा०सा0—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में विशेष रूप से चुनौती दी तथा इन सभी साक्षियों की साक्ष्य इस संबंध में अखण्डित है कि अमरा साहू और कलावतीबाई की मूलाबाई पुत्री नही है तथा उनका एक मात्र वारिस वादी घासीराम है। मूलाबाई वास्तव में अमरा साहू व कलावतीबाई की पुत्री है। यह साबित करने का भार स्वयं मूलाबाई पर था तथा उक्त तथ्य विशेषतः ज्ञात तथ्य की श्रेणी में आता है जिस कारण से भी उसे साबित करने का भार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा—103 एवं 106 के अनुसार स्वयं प्रतिवादी

क्र0 1 पर था, परन्तु स्वयं प्रतिवादी मूलाबाई साक्ष्य हेतु न्यायालय में प्रस्तुत हुई न उसकी ओर से कोई उक्त तथ्य को प्रमाणित करने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई। अतः ऐसे में मूलाबाई के विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (छ) के तहत् यह उपधारणा की जावेगी कि यदि वह स्वयं साक्ष्य कराती या दस्तावेज पेश करती, तो वह मूलाबाई के अननुकूल होती।

- 32—शेष प्रतिवादीगण के ओर से अभिलेख पर दीपक श्रीवास्तव (प्र0सा0—3), रिवशंकर (प्र0सा0—1), जितेंद्र सिंह साक्षी हिराम साहू (प्र0सा0—2), पटवारी डिक्रीलाल व प्रधान अध्यापक महेंद्र कुमार चौबे की साक्ष्य अभिलेख पर है, जिनमें से दीपक कुमार श्रीवास्तव (प्र0सा0—3), जितेंद्र सिंह व रिवशंकर (प्र0सा0—1), मूलाबाई के द्वारा विक्रय की गई भूमि के क्रेता है। वही हिराम साहू (प्र0सा0—2), मूलाबाई के पित कालूराम का जीजा है। रिवशंकर (प्र0सा0—1), जितेंद्र सिंह, दीपक कुमार श्रीवास्तव (प्र0सा0—3) एवं हिराम साहू (प्र0सा0—2) अपने—अपने मुख्यपरीक्षण में वादी को मूलाबाई का भाई होना बताते हैं, परन्तु इन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में दी गई साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि इन साक्षियों को मूलाबाई एवं घासीराम (वा0सा0—1) के परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
- 33—जितेंद्र सिंह का अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहना है कि मूलाबाई उर्फ भगवती बाई व घासीराम (वा0सा0—1) की श्यामलाती विवादग्रस्त भूमि थी जो उसने 7,00,000/— रूपये में रकबा 0.120 हैक्टेयर क्रय की है। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि मूलाबाई का नाम चंदेरी में भगवतीबाई था तथा उसकी ससुराल अचलगढ में उसे मूलाबाई कहते थे, परन्तु यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में स्वंय यह स्पष्ट करता है कि मूलाबाई के बारे में उसे जो जानकारी है वह उसके पित कालूराम सरपंच की वजह से है तथा उसने जमीन के कागज, रिजस्ट्री के दो मिहने पहले देखे थे। अतः इस साक्षी के अनुसार उसे मूलाबाई और घासीराम (वा0सा0—1) के तहसीलदार के द्वारा किये गये संयुक्त नामातरंण के आधार पर ही यह जानकारी है कि विवादित भूमि मूलाबाई और घासीराम (वा0सा0—1) के संयुक्त खाते की भूमि थी। मूलाबाई वास्तव में अमरा साहू और कलावतीबाई की पुत्री थी इस संबंध में न तो इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कोई विश्वसनीय कथन दिये है और न ही अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है।

- 34—रविशंकर (प्र0सा0—1) जिसके द्वारा भी 0.23 हैक्टेयर भूमि मूलाबाई से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई हैं। इस साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में स्वयं यह कहना है कि न तो उसे अमान साहू के बारे में कोई जानकारी है और न ही उसे घासीराम (वा0सा0—1) की जमीन के बारे में जानकारी है। यह साक्षी एक ओर अपने मुख्यपरीक्षण में विवादित भूमि आधे भाग पर मूलाबाई का कब्जा बताता है। वही दूसरी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में मूलाबाई की जमीन पर घासीराम (वा0सा0—1) का कब्जा होना बताता है। इस साक्षी के संपूर्ण कथनों में ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नही है, जिससे यह प्रकट होता हो कि वास्तव में इस साक्षी को मूलाबाई व ६ ॥सीराम (वा0सा0—1) के परिवार के बारे में संपूर्ण जानकारी हैं।
 - 35—हरिराम साहू (प्र0सा0—2) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में स्वयं को मूलाबाई के पित का जीजा होना बताता हैं। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में होश संभालने से विवादित भूमि पर खेती घासीराम (वा0सा0—1) को करते हुये देखना बताता है, परन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में अपने उपरोक्त कथनों से पलटते हुये इस साक्षी का कहना है कि उसने किसी को जमीन पर खेती करते हुये नहीं देखा। इस साक्षी को इस बात तक की जानकारी नहीं है कि अमरा साहू की जानकारी किससे हुई थी अर्थात् तथाकथित कालूराम की पत्नी की मां कौन थी। अतः साक्षी की साक्ष्य भी यह प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त नहीं है कि वास्तव में मूलाबाई वादी की बहन है।
 - 36—दीपक श्रीवास्तव (प्र0सा0—3) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में यह कहना है कि विवादित भूमि जो उसने क्रय की है वह पूर्व मे मूलाबाइ, ह । । । । । विवादित भूमि जो उसमें कलावती का हिस्सा 1/2 था। यह साक्षी स्वयं प्रकरण क्र0 536/10—11 में मूलाबाई की ओर से घासीराम (वा0सा0—1) के नामातरंण आवेदन पर नामातरंण आपत्ति लिखकर मूलाबाई को देना स्वीकार करता है, जिससे स्पष्ट है कि विक्रय दिनांक से ही यह साक्षी मूलाबाई से परिचित था तथा जानकारी इस साक्षी को थी कि पूर्व में विवादित भूमि घासीराम (वा0सा0—1) व कलावती के नाम दर्ज थी। मूलाबाई वास्तव में अमरा साहू की पुत्री थीं, यह साबित करने के लिये इस साक्षी के द्वारा प्रदर्श—पी 20 का प्रमाण पत्र प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में इस साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 11 में यह कहना है कि उक्त प्रमाण पत्र के अनुसार मूलाबाई के पिता का नाम अमरा लिखा है।

- 37—प्रतिवादी दीपक श्रीवास्तव (प्र0सा0—3) की ओर से मात्र प्रदर्श—पी 20 का प्रमाणपत्र प्रकरण में यह साबित करने के लिये प्रस्तुत किया है कि मूलाबाई, अमरा साहू की पुत्री थीं तथा प्रमाणपत्र को प्रमाणित करने के लिये सेवानिवृत्त शिक्षक महेश कुमार चोबे (प्र0सा0—5) के कथन न्यायालय में कराये है। महेश कुमार चौबे (प्र0सा0—5) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि वह शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक था तथा प्रदर्श—पी 20 के प्रमाण पत्र पर उसके हस्ताक्षर हो। इस साक्षी के द्वारा मात्र प्रदर्श—पी 20 के प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार कर लेने से उक्त प्रमाणपत्र की अंतरवस्तु साबित नहीं होती है। इस साक्षी का कहीं भी यह कहना नहीं है कि अभिलेख के अनुसार भगवतीबाई उर्फ मूलाबाई का किस दिनांक को विद्यालय में प्रवेश हुआ तथा कब तक वह विद्यालय में पढी उसकी वित्यत व जन्मतिथि क्या थी तथा किस आधार पर उक्त प्रविष्टि किस दिनांक को की गई यह कहीं भी यह साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया। अतः मात्र दस्तावेज पर हस्ताक्षरों की पहचान करने से उसकी अंतरवस्तु साबित नहीं होती है।
- 38—प्रतिवादी मूलाबाई की ओर से स्वयं को अमरा की पुत्री साबित करने के लिये कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। वहीं शेष प्रतिवादीगण भी मूलाबाई से अपरिचित होने एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह साबित करने में सफल नहीं हुये कि वास्तव में मूलाबाई अमरा साहू और कलावती की पुत्री है। मूलाबाई के द्वारा निष्पादित किये गये विक्रयपत्रों व किसी भी अन्य दस्तावेजों में एवं प्रस्तुत जबाव दावे में भगवती बाई के नाम का उल्लेख तथा अभिवचन तक नहीं है। पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर मूलाबाई का नाम भगवतीबाई के रूप में प्रस्तुत होना भी संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है कि वास्तव में यह दोनों नाम एक ही महिला के है। प्रतिवादीगण की ओर से मूलाबाई का कोई निकट संबंधी के कथन न्यायालय में नहीं कराये गये। रविशंकर (प्र0सा0—1) जो कि प्रतिपरीक्षण में स्वयं का वादी को अपनी मम्मी के मामा का साला होना बताता है, जो कि निकटवर्ती संबंधी नहीं है तथा इस साक्षी की साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता है कि उसको मूलाबाई के परिवार की जानकारी है।
- 39—अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य साबित करने के लिये पर्याप्त नहीं है कि मूलाबाई, अमरा और कलावतीबाई की पुत्री होकर वादी की बहन है। जबिक वादीगण की ओर से सभी साक्षियों ने वादी साहित साक्षी अशोक कुमार (वा०सा०—1) व कंछेदीलाल (वा०सा०—4) ने इस आशय की अखण्डित साक्ष्य दी है कि कलावतीबाई और अमरा के कोई संतान

नहीं थी तथा घासीराम (वा०सा0—1) ही उनका एक मात्र वारिस था। वादीगण की ओर से कलावतीबाई के सबसे निकट सबंधी कंछेदीलाल (वा०सा0—4) जो कि वादी की मौसी का लडका हैं, कि साक्ष्य न्यायालय में कराई गइ, जिसके द्वारा वादी के समर्थन में अखिण्डत साक्ष्य दी है कि मूलाबाई कलावतीबाई, अमरा की पुत्री नहीं है तथा घासीराम (वा०सा0—1) ही उनका एक मात्र वारिस है। अतः इस साक्षी की साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय है तथा उसका कलावती बाई संबंध इस साक्षी की साक्ष्य को और विश्वसनीय बनाता है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि मूलाबाई अमरा कि विधिक वारिस होकर पुत्री है। वाद प्रश्न कमांक 13 का प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 4, 5 व 10 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

40—वादी घासीराम का अपने न्यायालीन कथनों में अपने अभिवचनों के समर्थन में कहना है कि उसकी मां कलावती ने दिनांक 19.03.1985 को उसके पक्ष में उसके हिस्से की विवादित भूमि का 1/2 भाग का वसीयतनामा संपादित किया था। जिसके आधार पर वादी ने नायब तहसीलदार चंदेरी के न्यायायल में विवादित भूमि के उक्त हिस्से पर अपना नामांतरण कराये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था, जो प्रकरण क्र0 536/10—11 पर पंजीबद्ध हुआ था तथा उक्त प्रकरण में पटवारी के द्वारा मनगढंत रिपोर्ट प्रस्तुत कर कलावतीबाई का कोई अन्य वारिस न होने के बाद भी मूलाबाई नाम की महिला को कलावती बाई का वारिस होने की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसके आधार पर तहसीलदार ने दिनांक 24.06.2011 को मूलाबाई का नामातंरण विधि विरूद्ध रूप से कर दिया है। प्रतिवादी क्र0 1 मूलाबाई तथा अन्य प्रतिवादीगण ने अपने जबावदावे में मूलाबाई को अमरा व कलावतीबाई की पुत्री होना बताया है तथा अमरा के हिस्से की भूमि पर आधे भाग पर मूलाबाई का स्वत्व बताते हुये तहसीलदार के द्वारा किये गये उपरोक्त नामातंरण को विधि के अनुसार किया जाना बताया है।

41—वादी की ओर से प्रकरण में तहसीलदार के प्रकरण के क्रमांक 536 / 10—11 के आदेश पत्रिका दिनांक 27.10.2010 से 24.06.2011 सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—पी 33 उक्त प्रकरण में दिनांक 24.06.2011 को नायब तहसीलदार के द्वारा पारित किये गये आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—पी 34, वादी की ओर से

वसीयतनामें के आधार पर नामातंरण किये बाबत् आवेदन जिसके आधार पर उपरोक्त प्रकरण पंजीबद्ध हुआ कि सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—पी 35, उक्त प्रकरण में वादी के द्वारा साक्षी रामचरण के कराये गये कथन की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—पी 36, जारी किये गये इस्तहार की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—पी 37, अभिभाषक पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—पी 38 उक्त प्रकरण में पटवारी के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि एवं मूलाबाई की ओर से प्रस्तुत आपत्ति की सत्यप्रतिलिपि कमशः प्रदर्श—पी 39, 40, मूलाबाई के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील मैमों की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—पी 41 व अपील प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 01.10.11 से 05.05.12 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—पी 42 एवं मूलाबाई के अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रदर्श—पी 44 की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत की गई।

- 42—उपरोक्त दस्तावेजों में वादी की ओर से मुख्यरूप से पटवारी की रिपोर्ट प्रदर्श—पी 39 को चुनौती दी गई है जिसमें वादी का कहना है कि बिना किसी आधार के पटवारी ने मूलाबाई को अमरा वारिस बताया हैं और उक्त आधार पर तहसीलदार के द्वारा मूलाबाई के पक्ष में नामातंरण स्वीकार किया गया है। प्रदर्श—पी 39 के दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार के द्वारा पटवारी से मांगी गई रिपोर्ट पर से कलावती के फौत होने के बाद पटवारी के द्वारा अपनी रिपोर्ट में मूलाबाई पुत्री अमरा को घासीराम (वा0सा0—1) के साथ कलावती बाई का वारिस होना लेख किया है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि उक्त रिपोर्ट में इस बात का कही भी उल्लेख नही है कि पटवारी ने किस आधार पर एवं किस बात की संतुष्टि करते हुये मूलाबाई को कलावतीबाई का वारिस होना बताया है।
- 43—नायब तहसीलदार चंदेरी के द्वारा भी प्रदर्श—पी 34 के आदेश में भी यह स्पष्ट नही है कि स्वयं नायब तहसीलदार चंदेरी के द्वारा इस बात की तस्दीक वास्तव में की गई थी कि मूलाबाई कलावती बाई की पुत्री है अथवा नहीं, मात्र पटवारी की बिना किसी आधार के दी गई रिपोर्ट प्रदर्श—पी 39 के आधार पर कलावती बाई के हिस्से की भूमि पर मूलाबाई का नामातंरण नायब तहसीलदार चंदेरी के द्वारा स्वीकार किया गया। जबिक प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श—पी 6 की नामातंरण पंजी जिसको अब तक स्वयं मूलाबाई व किसी अन्य के द्वारा कोई चुनौती नही दी गई, को नायब तहसीलदार के द्वारा विचार में ही नही लिया गया। उक्त नामातंरण पंजी में अमरा के मात्र दो वारिस कलावती बाई व ध

ाासीराम (वा0सा0—1) दर्शायें गये है जिनका नामातंरण बराबर भाग में विवादित भूमि पर पूर्व में स्वीकार हो चुका है। प्रदर्श—पी 6 की नामातंरण पंजी का आदेश 13.12.1979 के समय यदि मूलाबाई या भगवती का वास्तव में अमरा की पुत्री के रूप में अस्तित्व होता तो निश्चित रूप से उसका नाम घासीराम (वा0सा0—1) व कलावतीबाई के साथ में समान भाग पर दर्ज होता।

44—मूलाबाई का प्रदर्श—पी 6 की पंजी में एव पटवारी के रिपोर्ट के आधार पर बनाये गये सिजरे में नाम नही था। उक्त स्थिति को नायब तहसीलदार के द्वारा बिना विचार में लिये एवं बिना कोई साक्ष्य लिये बिना किसी संतुष्टिप्रद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मात्र पटवारी की निराधार रिपोर्ट पर मूलाबाई का नामांतरण स्वीकार किया गया, जो निश्चित रूप से विधि सम्मत आदेश नही है। मूलाबाई इस प्रकरण में अवसर होने के बाद भी स्वयं यह साबित करने के लिये उपस्थित नहीं हुई कि वह अमरा व कलावती बाई की पुत्री है तथा अन्य प्रतिवादीगण भी इस संबंध में कोई संतुष्टिप्रद साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुये तथा इस प्रकरण में भी मूलाबाई अमरा व कलावती बाई की पुत्री होना उपरोक्त कि विवेचन एवं दिये गये निष्कर्ष के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है, यदि मूलाबाई का अमरा व कलावतीबाई की पुत्री होना ही प्रमाणित नहीं है, तो बिना किसी आधार के नायब तहसीलदार के द्वारा प्रकरण में कमांक 5अ६/10—11 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2011 निश्चित रूप से विधि विरुद्ध होकर प्रारंभतः ही शून्य है। अतः वाद प्रश्न कमांक 4 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

45—प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त नामातंरण आदेश के बाद मूलाबाई ने दिनांक 06.09.2011 को पांच लोगों को नामांतिरत हुई भूमि विक्रय की, जिनके विक्रयपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—पी 28 लगायत 32 वादी की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत की गई है तथा उक्त प्रदर्श—पी 30 की मूल प्रति को छोडकर शेष विक्रयपत्र की मूल प्रति प्रदर्श—पी 10 लगायत 13 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है जो कि मूलाबाई ने क्रमशः दीपक कुमार (प्र0सा0—3), संदीप कुमार पुत्रगण लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव, जितेंद्र पुत्र रघुवीर सिंह (प्र0सा0—6), जितेंद्र पुत्र रनवीर सिंह, रवि शंकर, मुकेश कुमार पुत्र खूबचंद के पक्ष में निष्पादित की। वादी की ओर से प्रकरण में उपरोक्त केतागण को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार भी बनाया हैं, जिनके द्वारा अपने अपने अभिवचनों में मूलाबाई से विक्रयपत्र के अनुसार भूमि क्रय करने की पुष्टि करते हुये न्यायालय में कथन दिये हैं।

(24)

46-अतः ऐसे में उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सहित अभिवचनों से इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति नहीं है कि मूलाबाई ने दिनांक 24.06.2011 को विवादित भूमि में अपना नामातंरण होने के बाद दिनांक 06.09.2011 को उपरोक्त भूमि प्रतिवादी क्र0 1 (अ) लगायत 1 (छ) को पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से विक्रय कर दी थीं। उपरोक्त विवेचन से जब यह प्रमाणित हो चुका है कि नायब तहसीलदार के द्वारा क्रमांक 536 / 10-11 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2011 विधि विरूद्ध है, तो उक्त आधार पर यह प्रमाणित होता है कि उक्त नामातंरण से प्रतिवादी क्र0 1 को विवादित भूमि में कोई विधिक अधिकार अर्जित नही होते हैं। नामांतरण आदेश मात्र स्वत्व का प्रमाण नही होता है और न ही वह स्वत्व को दर्शित करता है। यदि विक्रेता प्रतिवादी क्र0 1 को स्वयं ही विवादित भूमि के विक्रयपत्र के निष्पादन के समय विक्रित भूमि में कोई स्वत्व नही था, तो त्रुटि पूर्ण नामांतरण के आधार पर यदि प्रतिवादी क्र0 1 ने दिनांक 06.09.2011 को विवादित भूमि का विक्रयपत्र प्रतिवादी क्र0 1 (अ) लगायत 1 (छ) के पक्ष में निष्पादित कर भी दिया है तो उक्त विक्रयपत्र विधिवत् निष्पादित विक्रयपत्र नही माना जा सकता है और न ही उक्त विक्रयपत्रों के आधार पर विवादित भूमियों में कोई विधिक स्वत्व प्रतिवादीगण को अर्जित नही होते है।

47—अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादी क्र0 1 ने दिनांक 06.09.2011 को विधिक रूप से दीपक कुमार (प्र0सा0—3), संदीप कुमार, मनोज, अंकित, जितेंद्र, रिवशंकर (प्र0सा0—1), जितेंद्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह (प्र0सा0—6) को विधिवत् विवादित भूमि विक्रय पत्र के अनुसार विक्रय कर अधिपत्य सौंपा था, उक्त आधार पर यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादीगण करवा चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्र0 145 जिसका बाद में बटा 145/2 हो गया है, रकबा 0.496 है, में से रिजस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रकबा 0.120 भूमि प्रतिवादी क्र0 1 (अ) एवं 1 (ब) के तथा रकबा 0.072 है, भूमि प्रतिवादी क्र0 1 (स) लगायत 1 (ख) के तथा रकबा 0.120 है भूमि प्रतिवादी क्र0 1 (ग) के तथा रकबा 0.023 है, भूमि प्रतिवादी क्र0 1 (घ) लगायत 1 (च) के दावा रकबा 0.161 है, भूमि प्रतिवादी क्र0 1 (छ) के विधिक स्वत्व एवं अधिपत्य की है। वाद प्रश्न कमांक 5 व 10 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 1 व 8 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 48—प्रकरण में वादी की ओर से अपने समर्थन में कलावतीबाई के द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 19.3.1985 की मूल प्रति प्रदर्श—पी 7 एवं अमरा के द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र दिनांक 12.06.1979 की मूल प्रति प्रदर्श—पी 24 प्रकरण में प्रस्तुत की गईं। वादी के अनुसार कलावती के द्वारा उसके पक्ष में उसके हिस्से की भूमि का वसीयतनामा वादी के पक्ष में निष्पादित किया था जिसके आधार पर वह कलावतीबाई के हिस्से की भूमि का भी स्वामी हो गया है तथा पूर्व से विवादित भूमि का आधा भाग वसीयतनामा प्रदर्श—पी 24 के आधार पर उसे प्राप्त हुआ था, जिससे वह विवादित भूमि के संपूर्ण रकबे का स्वामी है।
- 49—प्रतिवादी क्र0 1 सहित सभी प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि पर आधे भाग पर दत्तक पुत्र होने के आधार पर वादी घासीराम (वा0सा0—1) के स्वत्व से इन्कार नही किया हैं तथा कलावती बाई द्वारा निष्पादित वसीयतनामा प्रदर्श—पी 7 को मुख्य रूप से चुनौती दी गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा—63 के अनुसार वसीयत को साबित करने के लिये कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को साक्ष्य में तलब कर उक्त साक्षी के माध्यम से जिस प्रकार से अनुप्रमाणन साबित किया जाता है, वसीयत को साबित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में वादी की ओर से प्रदर्श—पी 7 के वसीयतनामें को प्रमाणित करने के लिये वसीयत के साक्षियों को प्रस्तुत नहीं किया गया। घासीराम (वा0सा0—1) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 20 में स्वयं कहना है कि उसे जानकारी नहीं है वसीयतनामा किन साक्षियों के समक्ष लिखा गया तथा उसे यह भी जानकारी नहीं है कि वसीयतनामों पर किसके हस्ताक्षर है।
- 50—वादी की ओर से प्रदर्श—पी 7 के वसीयतनामें को साबित करने के लिये दस्तावेज लेखक विजय सिहं कुशवाह (वा0सा0—7) के कथन न्यायालय में कराये गये है। जिसमें अपने न्यायालीन कथनों में उक्त दस्तावेज को वसीयतकर्ता के कहे अनुसार टाइप किया जाना बताया है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि अनुप्रमाणक साक्षियों की पूर्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम व हिंदू उत्तराधिकार के प्रावधान के अनुसार दस्तावेज लेखक नही कर सकता है तथा दस्तावेज लेखक वसीयत को साबित करने के लिये अनुप्रमाणक साक्षियों का स्थान नहीं ले सकता है। अतः ऐसे में वादी के द्वारा वसीयत प्रदर्श—पी 24

व 7 का प्रमाणित कर ने के लिये विधिवत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई जिससे विधि के अनुसार उक्त वसीयतनामें प्रमाणित नही हुयें। अतः वाद प्रश्न क्र0 8 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

- 51—अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन एवं पूर्व में दिये गये निष्कर्ष से यह प्रमाणित है कि वादी घासीराम (वा०सा०—1) अमरा साहू व कलावती बाई का विधिवत् दत्तक पुत्र है जो कलावतीबाई व अमरा साहू की शादी के समय ही कलावती बाई के साथ गोद में आया था। मूलाबाई, अमरा साहू व कलावती बाई की पुत्री है, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से साबित नहीं होता है। वादी का अमरा दत्तक पुत्र के रूप में प्रारंभ से ही राजस्व अभिलेखों सहित दस्तावेजों में नाम चला आ रहा है, जिसकी पुष्टि वादी की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श—पी 4 लगायत 12 सहित वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों से होती है।
- 52—वादी घासीराम (वा०सा0—1) के शाला अभिलेख में पिता के रूप में अमरा साहू का नाम दर्ज होना तथा उसके दत्तक पुत्र होने के संबंध में विगत 70 वर्षों से किसी प्रकार की कोई आपित्त किसी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत न किया जाना एवं स्वयं वादी के द्वारा ही अमरा व कलावती बाई की मृत्यु के पश्चात् अंतिम संस्कार किया जाना यह साबित करता हैं कि वादी ही अमरा व कलावती बाई का दत्तक पुत्र होने के नाते एक मात्र वारिस है और क्योंकि वादी को अमरा ने दत्तक के रूप में वर्ष 1956 से पूर्व अपनाया है इसलिए उसके संबंध में Hindu Adoption and Maintenance Act-1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है और न ही यह आवश्यकता है कि ऐसे दत्तक ग्रहण का कोई दस्तावेज निष्पादित हो या उसका पंजीयन कराया जावे।
- 53—प्रतिवादीगण की ओर से वसीयतनामों को इस आधार पर चुनौती दी गई यदि वादी अकेला दत्तक पुत्र था तो उसे वसीयतनामों के निष्पादन की आवश्यकता क्यों हुई। जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम वसीयतनामा ही वादी विधि के अनुसार प्रमाणित नहीं कर सका और यदि यह तर्क के लिये मान भी लिया जावे कि अमरा व कलावतीबाई ने वादी के हित में वसीयतनामा निष्पादित किये थे, जबिक वह उनका एक मात्र वारिस था, तो उक्त आधार पर वादी के दत्तक पुत्र होने के को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता

है। विधि की जानकारी का अभाव होने के कारण भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि माता—पिता दत्तक पुत्र के अधिकार को सुरक्षित करने के लिये इस तरह के दस्तावेजों का निष्पादन भविष्य में उत्पन्न होने वाली किठनाइयों से बचने के लिये कर दे, जिसको संदेह की दृष्टि से देखा जाना उचित नहीं है।

54—वादी घासीराम (वा०सा०—1) को भले ही वसीयतनामा प्रमाणित न होने से उक्त दस्तावेजों के आधार पर विवादित भूमि में कोई अधिकार नही दिये जा सकते है परन्तु वादी अमरा व कलावती बाई का एक मात्र दत्तक पुत्र एवं वारिस होने के आधार पर अमरा की स्वत्व व अधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 145 रकबा 1.986 हेक्टेयर भू—भाग का स्वामी हैं तथा उस पर वादी का ही कब्जा निरन्तर रहा है, इस बात की पुष्टि स्वयं प्रतिवादी साक्षी रविशंकर (प्र0सा0—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में की है। अतः उक्त आधार पर वादी विवादित भूमि के संपूर्ण भूभाग का विधिक स्वत्व व अधिपत्यधारी है अतः वाद प्रश्न कमांक 1 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 2, 3, 11 व 12 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

55—अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं दिये गये उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर विवादित भूमि के संपूर्ण भू—भाग का वादी स्वत्व व अधिपत्यधारी होना प्रमाणित है तथा यह भी प्रमाणित है कि प्रतिवादी क्र0 1 मूलाबाई को उक्त भूमि में स्वत्व के कोई अधिकार कभी अर्जित नहीं हुयें तथा उसके पक्ष में विवादित भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार चंदेरी के द्वारा प्रकरण क 536 / 10—11 में पारित नामातरण आदेश दिनांक 24.06.2011 विधि विरूद्ध होने से शून्य है और उक्त नामातंरण आदेश शून्य होने से स्वयं प्रतिवादी मूलाबाई को उक्त भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था तथा बिना किसी अधिकार के मूलाबाई के द्वारा द्वारा दिनांक 06.09.2011 को निष्पादित किये गये पंजीकृत विक्रयपत्र के द्वारा केतागण को विवादित भूमि में कोई स्वत्व अर्जित नहीं होता है क्योंकि उक्त विक्रयपत्र प्रारंभतः ही शून्य है।

56—अतः स्पष्ट है कि वादी के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि पर प्रतिवादीगण के द्व ारा अवैध रूप से बिना किसी हक व अधिकार के हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा हैं जिससे प्रतिवादीगण, वादी के विरूद्ध कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते हैं, बिल्क वादी के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि में प्रतिवादीगण के अवैध हस्तक्षेप को रोका जाना आवश्यक हैं। जिससे वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अतः वाद प्रश्न कमांक 2 व 3 प्रमाणित होने से उनका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है तथा वाद प्रश्न कमांक 11 व 12 प्रमाणित न होने से उनका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमाक 6 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 57—वादी की ओर से प्रस्तुत वाद में वाद कारण दिनांक 19.09.2011 एवं दिनांक 22.09.2011 क्रमशः खसरों की नकल लेने के आधार पर नामातंरण की जानकारी होना एवं नायब तहसीलदार के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने को आधार मानकर दिनांक 03.10.2011 को प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से अपने अभिवचनों में यह आपत्ति प्रस्तुत की गई कि वादी को विक्रय दिनांक 06.09.2011 को विक्रय की जानकारी हो गई थी तथा दिनांक 24.06.2011 को नायब तहसीलदार के आदेश की जानकारी हो गई थी, परन्तु इसके बाद भी दिनांक 03.10.2011 को वाद प्रस्तुत कर अवधि बाहर दावा प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त तथ्य को प्रमाणित करने के लिये वादी अधिवक्ता के द्वारा मूलाबाई के द्वारा किये गये विक्रयपत्रों की नकल प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत आवेदन दिनांक 23.09.2011 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—डी 3 लगायत 7 प्रस्तुत की।
- 58—यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिये वाद कारण से परिसीमा 3 वर्ष की है। यदि तहसीलदार के आदेश दिनांक 24.06.2011 से भी गणना की जावे तब भी वादी का दावा समय अवधि में है। अतः वाद प्रश्न कमाक 6 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 9 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

59—यह वाद में विवादित भूमि पर स्वत्व घोषणा की सहायता सहित स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाहने बाबत् प्रस्तुत किया गया है तथा साथ द वि में नायब तहसीलदार के प्रकरण में 536/10—11 में पारित आदेश दिनांक 24. 06.2011 को विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने की सहायता चाही है।

वादी के द्वारा वाद का मूल्यांकन 2,000/— पर करके 1,025/— न्यायशुल्क अदा किया गया है, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण की आपितत है कि वादी को विक्रयपत्र के मूल्य के अनुसार न्यायशुल्क अदा करना था जो कि वादी के द्वारा नहीं किया गया।

- 60—वादी की ओर से प्रस्तुत दावे की मुख्य सहायता स्वत्व घोषणा की है। जिसमें शेष चाही गई सहायतायें परिणामिक अनुतोष के रूप में चाही गई है। वादी स्वयं प्रदर्श—डी 10 लगायत प्रदर्श—डी 13 के विक्रयपत्रों में पक्षकार नही है और न ही उसने विक्रयपत्रों को शून्य घोषित किये जाने की सहायता दावे में चाही है। अतः वादी को विक्रयपत्रों के प्रतिफल राशि के मूल्य अनुसार न्यायशुल्क अदा करने की आवश्यकता नही है। यदि वादी के द्वारा उक्त सहायता चाही जाती तो उसके द्वारा निश्चित न्यायशुल्क 500/— रूपये प्रस्तुत किया जाना ही पर्याप्त था।
- 61—वादी के द्वारा दावे में मुख्य सहायता स्वत्व घोषणा की चाही गई है तथा स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाने की सहायता परिणामिक सहायता के रूप में हैं, जिसके लिये वादी को न्यायशुल्क अधिनियम की धारा—7 (iv) c के अनुसार न्यायशुल्क अदा करना था तथा उक्त न्यायशुल्क की गणना के लिये वादी ईप्सित अनुतोष की रकम का कथन करने के लिये समक्ष था, वादी के द्वारा वाद मूल्य 2,000/— रूपये पर कायम किया गया, उक्त राशि वाद मूल्याकंन अधिनियम की धारा—8 के अनुसार न्यायशुल्क की गणना के लिये ईप्सित अनुतोष की राशि के रूप में ली जावेगी। अतः दावे में चाही गई सहायता के लिये वादी को 2,000/— रूपये पर मूल्य के अनुसार न्यायशुल्क करना था जो कि 240/— रूपये होता है, जबिक वादी के द्वारा 1,025/— रूपये न्यायशुल्क प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि वादी ने वाद का उचित मूल्याकंन करके पर्याप्त न्यायशुल्क चस्पा किया है। वाद प्रश्न कमांक 9 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न कमाक 14 का विवेचन एवं निष्कर्षः— सहायता एवं वाद व्यय

62—अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपना दावा

साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है वादी यह साबित करने में सफल रहा है कि वह अमरा और कलावती बाई का एक मात्र वारिस होकर दत्तक पुत्र है तथा अमरा की विवादित भूमि में उसका विधिवत् स्वत्व व अधिपत्य है। वादी यह भी साबित करने में सफल रहा है कि नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र0 536 / 10-11 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2011 विधि विरूद्ध आदेश होकर निरस्त किये जाने योग्य है। निश्चित रूप से वादी ने प्रतिवादी क्र0 1 (अ) लगायत 1 (छ) के पक्ष में उक्त आदेश के बाद प्रतिवादी क्र0 1 के द्वारा निष्पादित किये गये विक्रयपत्रों को शून्य घोषित किये जाने की सहायता नही चाही है, परन्तु जब वादी का उक्त नामांतरण आदेश प्रारंभतः ही शून्य है तथा मूलाबाई को विवादित भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था, तो उक्त विक्रयपत्रों के आधार पर प्रतिवादी क्र0 1 (अ) लगायत 1 (छ) को भी कोई अधिकार विवादित भूमि में उत्पन्न नहीं होते हैं और डिक्री विधिवत् प्रभावशील हो सके इसलिए उक्त विक्रयपत्र एवं उनके आधार पर हुये नामातरण भी शून्य घोषित किये जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर अपना प्रतिदावा स्थापित करने में सफल नही ह्ये है। अतः प्रतिवादीगण क्र० 1 (अ) लगायत 1 (छ) का प्रतिदावा प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है तथा वादी का वाद प्रमाणित होने से स्वीकार करते हुये उसके पक्ष में निम्न आशय की आज्ञप्ति जारी की जाती है।

- 01— विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 145 रकबा 1.986 हैक्टेयर के 1/4 भू भाग अर्थात् 0.496, जिसे दावे के साथ संलग्न नक्शें में अ,ब,स,द अक्षरों से चिन्हित किया गया है, का वादी स्वत्व, स्वामी एवं अधिपत्यधारी घोषित किया जाता है।
- 02— नायब तहसीलदार चंदेरी के प्रकरण में 536 / 10—11 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2011 विधि विरूद्ध होने से वादी के हितों के मुकाबले शून्य घोषित किया जाता है।
- 03— प्रतिवादी क्र0 1 के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्र0 1 (अ) लगायत 1 (छ) के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र वादी के हितों के मुकाबले शून्य घोषित किया जाता है तथा उक्त आधार पर विवादित भूमि पर राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण का नामांतरण भी वादी के हितों के मुकाबले शून्य घोषित किया जाता है।

- 04— प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा निषेधित किया जाता है कि वह स्वयं व अन्य के माध्यम से विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 145 रकबा 1.968 हैक्टेयर के 1/4 भाग अर्थात् 0. 496 हैक्टेयर जिसे संलग्न नक्शें में अ,ब,स,द अक्षरों से चिन्हित किया गया है, में वादी के स्वत्व व अधिपत्य में किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न करें। वाद संलग्न नक्शा डिकी का भाग होगा।
- 05— प्रतिवादीगण क्र0 1 (अ) लगायत 1 (छ) का प्रतिदावा प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है
- 06— वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेगें।
- 07— अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणिकरण के अधीन नियम 523 म0प्र0 व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो या जो न्यून हो व्यय में जोडा जावे।

तद्नुसार डिकी की रचना की जावें।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 तह0 चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी) अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 तह0 चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.